

108/25

अधिवक्ता अपीलेंट अनु. अपीलेंट व उनके अधि-  
वक्ता डी न्यायालय की ओर से बार-बार आवाजे  
लगाने के बावजूद कोई उपाय नहीं आया लि-  
हाजा पत्रावली अदम हाजिरी अदम पैरवी में पारि-  
की वाली है। पत्रावली फ़ैसल युधार लेकर बाद  
आवश्यक कार्यवाही दायित्व दुष्कर है।

राजस्व अपीलेंट अधिकारी  
पाली